



**POLICE COMMISSIONERATE**



## **GAUTAM BUDH NAGAR**

### **सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 03.06.2025**

**1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी से 50,00,000 रुपये ठगी करने वाले गैंग का 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।**

**कार्यवाही का विवरण--** दिनांक 03.06.2025 को थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर कार्रवाई करते हुए वादिया को डिजिटल अरेस्ट कर धोखाधड़ी करके 50,00,000 रुपये ठगी करने वाले गैंग का 01 अभियुक्त मो0 जुनैद खान पुत्र स्व0 असगर खान को लखनऊ से **गिरफ्तार** किया गया है। वादिया के साथ हुई धोखाधड़ी की 2,57,179 रुपये फ्रीज कराये गये हैं, जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में रिफंड की कार्यवाही प्रचलित है।

**घटना का संक्षिप्त विवरण--** दिनांक 26.05.2025 को वादिया निवासी सेक्टर-62 नोएडा ने थाना साइबर क्राइम आकर सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा अपने आप टेलिकॉम डिपार्टमेंट का कर्मचारी बताकर वादिया को मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध कारित किया जाना बताकर डिजिटल अरेस्ट किया गया एवं फर्जी कागजात भेजकर गिरफ्तारी का भय दिखाकर वादिया से 50,00,000 रुपये को बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिये गये। वादिया द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर अभियोग पंजीकृत कर बैंक खातों को तत्काल फ्रीज करवाया गया।

**पूछताछ का विवरण--** पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा अपने अन्य साथियों से मिलकर बंधन बैंक में खाता खुलवाया एवं वादिया से धोखाधड़ी के रूपों में से 08 लाख रुपये उक्त खाते में ट्रांसफर किये गये, जिसको अभियुक्त द्वारा स्वयं बैंक में उपस्थित अन्य साथियों की सहायता से निकाल लिया गया। अभियुक्त के अन्य साथियों की गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जायेगी।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--**

मो0 जुनैद खान पुत्र स्व0 असगर खान निवासी ओल्ड सरदारी खेड़ा, आलमबाग, लखनऊ उम्र 24 वर्ष।

### **पंजीकृत अभियोग का विवरण--**

मु0अ0सं0-47/2025 धारा 308(2), 318(4), 319(2), 336(3), 338, 340(2) बीएनएस व 66,66डी आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम , कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त द्वारा खोले गए बैंक खाते को NCRP PORTAL पर चैक करने पर कुल 04 शिकायते (उत्तर प्रदेश-02, महाराष्ट्र-01, राजस्थान- 01 प्राप्त हुई है।